महत्वपूर्ण

संख्या–487/XX–4/2020–5(28)/2019

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महोदय,

1– अपर पुलिस महानिदेशक/
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/
कारागार अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 19 अगस्त, 2020

विषय– **मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित कि0 अपील संख्या–01/2019 (सपठित कि0 अपील संख्या–44/2019) जिला कारागार, हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की जमानत/पैरोल/पुनर्विचार याचिका/अपील के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रश्नगत रिट याचिका के संदर्भ में शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य की कारागार में निरूद्ध बन्दियों (सिद्धदोष/विचाराधीन) को समय से विधिक सहायता उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी जमानत/पैरोल/पुनर्विचार याचिका/अपील पर समयबद्ध रूप से/नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो रही है, यह स्थिति गम्भीर एवं चिन्ता का विषय है।

2– अस्तु, इस सम्बन्ध में बन्दियों की जमानत/पैरोल/पुनर्विचार याचिका/अपील पर समयबद्ध रूप से/नियमानुसार कार्यवाही हेतु बन्दियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त् निम्नांकित दिशा–निर्देश/प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. प्रत्येक कारागार में विचाराधीन बन्दियों की जमानत सम्बन्धी विवरण के लिये Master Bail Register तथा सिद्धदोष बन्दियों की पैरोल हेतु Master Parole Register एवं अपील सम्बन्धी विवरण हेतु Master Appeal Register रखा जाय।
2. विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों के जमानत सम्बन्धी विवरण Master Bail Register में होना चाहिए जिसमें बंदी द्वारा कितनी बार जमानत हेतु आवेदन किया गया एवं कब–कब जमानत में गया का पूर्ण विवरण अद्यतन रखा जाय।
3. सिद्धदोष बन्दियों के पैरोल सम्बन्धी विवरण Master Parole Register में होना चाहिए जिसमें बंदी द्वारा कितनी बार पैरोल हेतु आवेदन किया गया एवं कब–कब पैरोल परं गया का पूर्ण विवरण अद्यतन रखा जाय।
4. सिद्धदोष बन्दियों की अपील सम्बन्धी विवरण Master Appeal Register में बंदी द्वारा कितनी बार अपील की गयी का पूर्ण विवरण अद्यतन रखा जाय।
5. प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार एवं तीसरे मंगलवार को जेल प्रशासन द्वारा प्रत्येक विचाराधीन बन्दी की जमानत एवं सिद्धदोष बन्दी की पैरोल/अपील का अलग–अलग विवरण जिलाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायाधीश तथा महानिरीक्षक कारागार को भेजना, जिसमें बंदी अपील करने हेतु निजी अधिवक्ता रखना चाहता हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेना चाहता है, का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।

6. कारागार प्रशासन द्वारा उपरोक्त तीनों मास्टर रजिस्टरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के सम्मुख निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक बंदी से मुलाकात किये जाने की व्यवस्था निहित की जानी चाहिए।

3— उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या—487/XX—4/2020—5(28)/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2— सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3— संयुक्त निदेशक (विधि), मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4— समस्त, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
5— निजी सचिव, सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव